

फर्द अहकाम

(नियम 26)


अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

जेरू उर्फ जेरूराम पुत्र ज्वारा भील निवासी कुचलवाड़ा कलां
बनाम

जयप्रकाश पुत्र रामस्वरूप ब्राहमण निवासी कुचलवाड़ाकलां वगैरह

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए.

मुकदमा नंबर 188 /2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुये
01-05-24	<p>प्रार्थना पत्र सिगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि में ग्राम कुचलवाड़ा कलां प.ह. ऊंचा आराजी सं. 884, 890 कुल किता 02 रकबा 0.4775 हेक्टेयर भूमि स्थित है अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पड़ोसी है अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढ़ी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान किये जावें प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है </p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2075 से 2078 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढ़ी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढ़ी किया जाना उचित समझता है ग्राम कुचलवाड़ा कलां प.ह. ऊंचा आराजी सं. 884, 890 कुल किता 02 रकबा 0.4775 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक अमरवासी को कमीशनर नियुक्त किया जाता है कमीशनर फीस 500 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रुपये राजकोष में जमा करावे पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावें तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाते हैं पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें </p> <p>आदेश आज दिनांक 01/05/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया </p> <p style="text-align: center;"> उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर (शाहपुरा)</p>	

राजस्थान-सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

दिनांक- 01/05/2024

क्रमांक/रीडर/2024/ 188 /2024

निमित्त-

तहसीलदार जहाजपुर

विषय- प्र.सं. 188 / 2024 अनवान जेटू उर्फ जेटूराम पुत्र ज्वारा भील निवासी कुचलवाड़ा कलां ब्रजाम जयप्रकाश पुत्र रामस्वरूप ब्राहमण निवासी कुचलवाड़ाकलां, मंगला पुत्र उदा भील निवासी कुचलवाड़ाकलां, कैलाश पुत्र छोटू मीणा निवासी कुचलवाड़ाकलां, राकेश पुत्र सोहन मीणा निवासी कुचलवाड़ाकलां, गोपाल पुत्र हरदेव मीणा निवासी कुचलवाड़ा कलां, रमेश मीणा पिता का नाम नामालूम निवासी गैस फैक्ट्री देवली, तहसीलदार जहाजपुर वगैरह की पत्थरगढ़ी की पालना करने बाबत ।

उपरोक्त विषयांकित अनवान के प्रकरण में ग्राम कुचलवाड़ा कलां प.ह. ऊंचा आराजी सं. 884, 890 कुल कित्ता 02 रकबा 0.4775 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक अमरवासी को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 500 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रुपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस / समझ भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला शाहपुरा